उत्तर प्रदेश शासन

नियोजन अनुभाग-1

संख्या : 4/2019/771/35-1-2018-6/8(14)/2017

लखनऊ: दिनांक : 06 मार्च, 2019

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375-दस-2018-231/2018, दिनांक : 30 मार्च, 2018 में निर्देश निर्गत किये गये हैं। राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के पत्र सं0-393/उ0प्र0रा0जै0ऊ0वि0बो0/2018, दिनांक - 28.11.2018 पर प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-40 के लेखाशीर्षक-2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-01-बायो ऊर्जा-800-अन्य व्यय-04-उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत किये गये प्राविधान रू0 75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि के सापेक्ष कार्यालय-ज्ञाप सं0:16/2018/356/35-1-18-6/8(14)/2017, दिनांक : **04 जून,** 2018 द्वारा अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त धनराशि रू0-55.18 लाख को घटाते/समायोजित करते हुए अवशेष द्वितीय किश्त रू0 19.82 लाख (रूपये उन्नीस लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को शासनादेश सं0-15/2016/485/35-1-2016-2/1(86)/2014, दिनांक - 13 जून, 2016 में अंकित शर्तों/प्राविधानों/प्रतिबन्धों के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/राज्य जैव ऊर्जा नीति-2014 के कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं के संचालन हेतु बोर्ड के मुख्यालय स्तर पर खोले गये राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते में रखा जायेगा तथा उसमें से आवश्यकतानुसार धनराशि को उक्त योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों/बोर्ड के संचालन हेतु राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक तथा वित्त नियंत्रक, नियोजन विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित किया जायेगा।
2. उक्त रूप से स्वीकृत धनराशि को बोर्ड की कार्यकारी समिति के अनुमोदनोपरांत नियमानुसार व्यय/उपयोग किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. इस सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/शासनादेशों/वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बोर्ड की नियमावली का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के सुचारू रूप से संचालन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-01-बायो ऊर्जा-800-अन्य व्यय-04-उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा बोर्ड-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित रू0 75.00 लाख में अवशेष रू0 19.82 लाख धनराशि द्वितीय किश्त में अवमुक्त किये जाने पर वित्त विभाग की सहमति इस शर्त के अधीन प्रदान की है कि प्रशासकीय विभाग राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान को प्रतिबद्ध मदों का व्यय वहन करने के पश्चात ही मितव्ययी मदों में उपयोग करेगा एवं मदवार सत्यापित उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय उपलब्ध करायेगा।
5. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0 अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

2- उक्त पर होना वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान सं0-40 के अन्तर्गत "लेखा शीर्षक-2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-01 बायो ऊर्जा-800-अन्य व्यय-04-उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0ई0-05-267/दस-2019, दिनांक: 26 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

संख्या : 4/2019/771(1)/35-1-2018-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. केन्द्रीय सहायता (वित्त) अनुभाग।
8. वित्त (आय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।